

>

Title: Introduction of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new section 16A)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.”

The motion was adopted.

15.48 hrs

**श्री गोपाल
शेटी :**
महोदय, मैं
विधेयक को
पुरःस्थापित
करता हूँ ।